

# प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 05.11.2024

**कूटरचना कर अवैध रूप से जमीन बेचने के नाम पर रूपये लेने के आरोप में 01 नफर  
वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी चौराचौरा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चौरी चौरा संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल राव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 396/2024 धारा 406, 419, 420, 506, 467, 468, 471 भादवि से संबंधित अभियुक्त करन कुमार को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## घटना का संक्षिप्त विवरण –

अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर कूटरचना कर दूसरे की जमीन को वादी मुकदमा को बेचने के नाम पर 8,45,000 रूपये ले लेने के आरोप में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

करन कुमार पुत्र रघुनाथ पासवान निवासी मोतीराम अड्डा पसियान टोला थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 396/2024 धारा 406,419,420,506,467,468,471 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

## गिरफ्तारी की टीम –

1. थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 राहुल राव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. कां0 रामचन्द्र यादव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर